न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 59/21 GCMS NO 2021/104

जगमोहन पुत्र आन्नदीलाल जाति मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. प्यारे लाल पुत्र रामफल जाति मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 206/20 निर्णय व डिक्री दिनांक 5.8.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, वजीरपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री आर.डी.त्रिवेदी

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मोहम्मद इस्लाम

दिनांक 10.6.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 5.8.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, वजीरपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 प्यारेलाल द्वारा दावा बाबत भूमि विभाजन व घोषणा खातेदारी इस आशय का पेश किया कि ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर के हाल खसरा न0 1073 रकबा 0.83 है0 स्थित है। जिसमे वादी प्यारेलाल का 2/3 हिस्सा और प्रतिवादी जगमोहन का 1/3 हिस्सा है। मौके पर उसी अनुसार काबिज रहकर वादी एंवं प्रतिवादी काश्त करते चले आ रहे है। हाल खसरा न0 1073 पर जाने के लिए खसरा न0 1071 गैर मुमकिन रास्ता बना हुआ है कथित रास्ते को प्रतिवादी जगमोहन ने तोडकर उस पर काश्त कर ली एवं रास्ते मे एक तरफ अवैध पाटौर चढाकर वादी के खेत पर जाने के रास्ते को रोक दिया। ट्रासफर खराब हो जाने के कारण नया ट्रासफर कुऐ पर पहुॅचाने के लिए वादी को कोई रास्ता नही है। वादी ने प्रतिवादी से इस रास्ते को बंद नही कर आराजीयात का बंटवारा कराने के लिए कहा तो उसने साफ इंकार कर दिया। इसलिए दावा प्रस्तुत कर ग्राम फुलवाडा मे स्थित भूमि खसरा न0 1073 रकबा 0.83 है0 मे से 2/3 हिस्से का विभाजन सरस नरस अनुसार कर अलग से वादी के नाम खातेदारी घोषित की जावे। उपरोक्त 2/3 हिस्से को रास्ते के लगवां दिया जावे जिससे वादी अपनी भूमि का उपयोग उपभोग कर सके विभाजन की डिक्री वादी के पक्ष मे जारी की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी संख्या 1 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी जगमोहन द्वारा अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व विधि के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। स्वयं वादी ने अपने वाद पत्र मे प्रतिवादी की पाटौर मौके पर बनी होना बताया है, विभाजन स्कीम मे भी पाटौर का अंकन है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उधर से रास्ता देने मे भारी भूल की है। जबकि इस प्रकार रास्ता देने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है कि निर्माण हुए स्थान पर रास्ता दे सके। इस प्रकार निर्णय व डिक्री दोष युक्त है। दिनांक 20.1.17 को प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति मौके पर बताई है जबकि उस दिन प्रार्थी विधालय बोरदा तहसील बौली पर अपनी डयूटी अन्जाम दे रहा था। जिसके बाबत हाजरी रजिस्टर की नकल पेश की गई थी जिस पर ध्यान नही दिया जाकर आक्षेपित निर्णय पारित किया है। निर्णय के पृष्ठ संख्या 2 मे वाद कारण दिनांक 15.6.13 को उत्पन्न होना ख0न0 77,1040,2628 ग्राम श्यारोली लिखा है इस प्रकार इससे सिद्व है कि अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने मे अपना सही रूप से मस्तिष्क का प्रयोग नही किया है। इस प्रकार निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा भेजी गई विवादित विभाजन स्कीम को स्वीकृत नही किया है तथा उसमे अपनी ओर से संशोधन किया है। जबकि यदि न्यायालय इस रिपोर्ट से संतुष्टं नही था तो पुनः उभयपक्ष की उपस्थिति मे स्कीम मंगवाई जानी चाहिए थी ऐसा न करके मनमाने तरीके से निर्णय व डिक्री पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। निर्णय व डिक्री अस्पष्ट है इस कारण भी निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जाकर पुनः उभयपक्ष की उपस्थिति मे विभाजन स्कीम मंगवाई जाने के आदेश दिये जाकर दावा व डिक्री पारित किये जाने की हिदायत अधिनस्थ न्यायालय को दी जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि विवादित आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसका विधिवत बंटवारा नही हुआ है। विधिवत बंटवारा नही होने के कारण अपीलांट द्वारा रेस्पो0 के हिस्से की आराजीयात पर आने जाने का रास्ता पाटोर बनाकर अवरूद्व किये जाने के कारण एवं अपीलांट द्वारा विधिवत रूप से बंटवारा कराने की मनाही किये जाने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पेश किया गया था। जिसका वादी/रेस्पो0 को पूर्ण अधिकार हासिल है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा जबाब दावा पेश किया था जिसमे विवादित आराजीयात को संयुक्त खातेदारी की भूमि माना है। जो अपीलांट का स्वीकृत तथ्य है। बिना बंटवारा कराये प्रत्येक खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। अपीलांट द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत करने के फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी मे पी डब्लू 2 राजेन्द्र के बयान तथा प्रतिवादी मे डी डब्लू जगमोहन के बयान दर्ज किये गये जाकर उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र दिनांक 25.5.18 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार वजीरपुर को 500/—रूपये की फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विवादित आराजीयात ख0न0 1073 रकबा 0.83 है0 ग्राम फुलवाडा की मौके एवं रिकार्ड के अनुसार उभयपक्ष की सहमति से रास्ता दर्शाते हुए विभाजन स्कीम तैयार कर भिजवाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मौके एवं कब्जे के अनुसार तैयार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से समस्त राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:37:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात भूमि ख0न0 1073 रकबा 0.83 है0 मे अपीलांट जगमोहन का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पो0 प्यारेलाल का 2/3 हिस्सा है। इस तथ्य को उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया है। वादी/रेस्पो0 द्वारा भूमि खसरा न0 1073 मे अपने हिस्से 2/3 पर जाने वाले रास्ते को अपीलांट द्वारा अवरूद्व किये जाने के कारण वाद पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र दिनांक 25.5.18 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार वजीरपुर से उभयपक्ष की उपस्थिति मे मौके एवं कब्जे अनुसार उभयपक्ष की सहमति के आधार पर रास्ता दर्शाते हुए विभाजन स्कीम तलब की गई। तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट मे वादी/रेस्पो0 की भूमि पर आने जाने हेतु कोई बैकल्पिक रास्ता नही माना है एवं प्रस्तावित रास्ते को अपीलांट द्वारा अवरूद्व कर पाटौर बना लेने का तथ्य रिपोर्ट मे अंकित किया है। दौराने बहस उभयपक्ष द्वारा विवादित आराजीयात खसरा न0 1073 रकबा 0.83 मे से 1/3 हिस्सा अपीलांट का एवं 2/3 हिस्सा रेस्पो0 न0 1 के नाम दर्ज करने की सहमति मौखिक रूप से दी गई है। उभयपक्ष की सहमति के आधार पर हम विवादित आराजीयात मे से 1/3 हिस्सा अपीलाट के नाम अर्थात 27 ऐयर भूमि, तथा 2/3 हिस्सा रेस्पो0संख्या 1 के नाम अर्थात 54 ऐयर भूमि का अलग अलग खातेदार घोषित किया जाकर पृथक से बटा न0 दर्ज करने एवं शेष 2 ऐयर भूमि को दोनो पक्षो के शामलाती प्रयोजनार्थ गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाना उचित समझते है।

अतः उभयपक्षो की सहमति के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री मे आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि विवादित आराजीयात ख0न0 1073 रकबा 0.83 है0 मे अपीलांट के हिस्से 1/3 अर्थात 27 ऐयर भूमि एवं रेस्पो0 संख्या 1 के हिस्से 2/3 अर्थात 54 ऐयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 2 ऐयर भूमि को उभयपक्ष के शामलाती रूप से प्रयोजनार्थ गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। रास्ता दोनो पक्षो की भूमि के डोल मेड पर कायम किया जावे एवं यदि किसी पक्षकार ने इस रास्ते को अवरूद्व किया हुआ है तो उसे तहसीलदार मौके पर जाकर खुलासा करावे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार वजीरपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.6.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Baloti
Date: 2025.10.10 13:57:05 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा माधोपुर